

प्रपत्र VII
आदेश प्रपत्र के लिए फॉर्मेट
(नियम 18 देखें)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद कोर्ट- II, गोपालगंज
उत्पाद सिरियल नं०- 6703/24 सरकार बनाम

अभियुक्त का नाम- दिवनाथ सहनी

नं०- 6408

आवासीय का नाम- दुरोगा सहनी

आवासीय का नाम- हसनपुर मडिया

थाना- विहावलिया जिला- गोपालगंज

अपराध की तिथि समय और स्थान- 18-08-2024 दिनांक- 18-08-2024 समय- 20:36 बजे

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि- 17-08-2024 पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधि० 2022) की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक- 18-08-2024 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह नलबारी से पकड़ा गया जिससे सम्पुट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था। उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। मैंने अभियुक्त को समझाया है कि वह दोष मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसे सोचने समझने और पुनः विचार करने हेतु पुलिस अभिरक्षा से विरत कर 4 घंटा का पुनः विचार हेतु समय दिया जाता है। एक घंटे पश्चात अभियुक्त पुनः अपने दोष को स्वीकार करता है और कहता है कि वह अपना किसी दबाव, लोभ एवं लालच के प्रभाव में नहीं है, और वह अपना दोष स्वीकार करता है। अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधि० 2022) की धारा-37 के अधीन दोषी पाता हूँ। इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधि० 2022) की धारा - 37 के अधीन 3000/- रुपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का आदेश दिया जाता है।

तिथि:- राष्ट्रीय सौर तिथि- 19. 8. 2024

यानि

स्थान:- गोपालगंज

Deepak Singh Verma

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष उत्पाद कोर्ट- II, गोपालगंज